सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 22/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रामस्वरूप सुमन आयु 43 वर्ष पुत्र बलराम सुमन जाति सुमन निवासी ग्राम पोस्ट पाठेडा तहसील बारॉ जिला बारॉ **(मालिक एवं विक्रेता)** मैसर्स विष्णु प्रोविजन स्टोर, लंका कॉलोनी के सामने शाहबाद रोड बारॉ
2. श्री प्रियांश गोयल पुत्र गोपाल गोयल, जाति गोयल निवासी सदर बाजार बारॉ मैसर्स बी0एस0 प्रोविजन स्टोर सदर बाजार बारॉ
3. श्री विरल कुमार कोठारी पुत्र विनोद राम कोठारी, निवासी नई धानमण्डी काली मस्जिद के पास, वार्ड नं0 35 तहसील लाडपुरा कोटा M/S VEER ENTERPRISE, 107-B, New Grin Mandi, Aerodram Circle Kali Mazid Opp. Jain Mandir Kota
4. श्री नितीन पारसमल ओस्वाल उम्र 46 वर्ष निवासी फ्लेट नं0 605 श्री साभावाथ अपार्टमेन्ट, ओल्ड भंडारा रोड वर्धमान नगर, नागपुर महाराष्ट्र–440008 (नोमिनी) SURUCHI SPICES PVT. LTD. Kh. No 55/1, Near Umiya Industrial Estate, Near Pardi Octoi Naka, Bhandara Road, Kapsi Khourd, Dist-NAGPUR-441104
5. SURUCHI SPICES PVT. LTD. Kh. No 55/1, Near Umiya Industrial Estate, Near Pardi Octoi Naka, Bhandara Road, Kapsi Khourd, Dist- NAGPUR-441104

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

निर्णय दिनांक 25.3.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 8.10.2017 को मैसर्स विष्णु प्रोविजन स्टोर, लंका कॉलोनी के सामने शाहबाद रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रामस्वरूप पुत्र बलराम जाति सुमन **(मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 8.10.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम** पैक मे विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम पैक मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम पैक के 08 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री रामस्वरूप पुत्र बलराम जाति सुमन को 480/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम के 08 मूल पैकेट को अलग–अलग चार नमूना भाग मे अलग–अलग कर 02–02 पैकेट कर प्लास्टिक के साफ सुखे स्वच्छ डिब्बो मे मूल ही भरकर प्रत्येक डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–770 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–770 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामस्वरूप पुत्र बलराम जाति सुमन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/281 दिनांक 9.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 754/FSSA/Kota/Act/2017/885 दिनांक 03.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम** पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3 (1)(Zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थीगण से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय मे पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 18.9.2018 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 दिनांक 28.12.2018 को एक बार उपस्थित हुये है। इसके पश्चात अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम** पैक का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। अप्रार्थीगण को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 754/FSSA/Kota/Act/2017/885 दिनांक 03.11.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम** पैक की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (सूरूचि इन्सटेन्ट मिक्स) 200 ग्राम** पैक जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 को प्रत्येक अप्रार्थी को 2000/–रूपये कुल जुर्माना राशि 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि पृथक–पृथक अप्रार्थीगण प्रति अप्रार्थी 2000/– रूपये अथवा पॉचो अप्रार्थीगण मिलकर 10,000/– रूपये किसी भी एक अधिकृत प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवाये। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण को उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)